

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 532(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एनीलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: एनीलिन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2792(अ) तारीख 5 अगस्त, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 203(अ) तारीख 15 जनवरी, 2020, का.आ. 2180(अ) तारीख 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3796(अ) तारीख 22 अक्टूबर, 2020, का.आ. 1677(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 397(अ) तारीख 31 जनवरी, 2022 और का.आ. 3460(अ) तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 532(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2023."

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Aniline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2792(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 203(E) dated the 15th January, 2020, S.O. 2180(E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3796 (E) dated the 22nd October 2020, S.O. 1677(E) dated the 19th April, 2021, S.O.397(E) dated the 31st January, 2022 and S.O. 3460(E) dated the 27th July, 2022.